झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/18-19 ग्.खी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रेषक,

राजेश कुमार वर्मा,
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड,
पो०–हिनू, राँची।

द्वारा :– **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :– **देवघर जिलान्तर्गत दरूआ वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं०– 107.00 पर सी०डी० संरचना के निर्माण हेतु कुल रू० 69.03 लाख (रूपये उन्हत्तर लाख तीन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश–स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर प्रक्षेत्राधीन देवघर जिलान्तर्गत दरूआ वीयर योजना के मुख्य नहर के चेन सं०– 107.00 पर सी०डी० संरचना के निर्माण हेतु कुल रू० 69.03 लाख (रूपये उन्हत्तर लाख तीन हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. इस कार्य के अन्तर्गत निम्नांकित कार्य कराया जायेगा :–

i) Construction of R.C.C. Barrel
ii) Construction of R.C.C. in headwall and Cutoff wall below Barrel
iii) Construction of PCC in wing wall & return wall
iv) Construction of cutoff wall
v) Earth filling in banks.
vi) Turfing in newly constructed canal portion.

4. यह पुनर्स्थापन कार्य वर्ष 2018–19 में प्रारम्भ कर इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिया जायेगा।

5. इस कार्य के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, देवघर होगें एवं मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर इसके नियंत्री पदाधिकारी होगे।

6. इस योजना पर होने वाला व्यय –

(i) मुख्य शीर्ष 4701–मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, उप– मुख्य शीर्ष–80–सामान्य, लघु शीर्ष –789– अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उपशीर्ष 46– सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन, विस्तृत शीर्ष– 05– निर्माण, 45– निर्माण कार्य, के अन्तर्गत प्रावधानित राशि के अधीन विकलनीय होगा।

7. वर्ष 2018–19 के लिये स्वीकृत बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के पुनर्स्थापन कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

i) शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 789 – 46 – 05 – 45 में रू० 6.00 करोड़

8. (i) इस कार्य के कार्यान्वयन के पूर्व निर्माण कार्य के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में निर्गत दिशा निर्देश का अनुपालन सक्षम तकनीकी पदाधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।

(ii) नहर के तटबंध में मिट्टी भराई का कार्य हेतु यथासंभव मिट्टी नहर के बेड से प्राप्त की जायेगी तथा इसके लीड एवं लिफ्ट (Lead & Lift) की गणना, कार्यस्थल के वास्तविक स्थिति के अनुसार की जायेगी जिससे कार्यपालक अभियंता संतुष्ट हो लेंगे, जिसकी जिम्मेवारी उनके स्वयं की होगी।

(iii) निर्माण सामग्रियों यथा सीमेन्ट, बालू, मेटल, चिप्स, बोल्डर एवं स्टील इत्यादि की ढुलाई के लीड से सक्षम पदाधिकारी संतुष्ट हो लेंगे।

9. उक्त कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

10. इस कार्य के लिए राशि की निकासी देवघर कोषागार से की जायेगी।

11. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

12. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

13. राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य वित्त विभागीय परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार द्वारा की जाएगी।

14 प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची का अनुमोदन प्राप्त है।

15. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

16. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/18-19 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/1849 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, देवघर कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/1849 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, देवघर/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, सिंचाई अंचल, जसीडीह, शिविर देवघर/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, देवघर/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/1849 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव

पत्रांक :– 1/पी०एम०सी०/कार्य/831/2014– 39/1849 प्र.स्वी. /राँची, दिनांक 20.12.2018

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेश कुमार वर्मा)
सरकार के अपर सचिव